आवश्यक सूचना

बल के समस्त फार्मेशनों के ध्यानार्थ.

भा0ति0सी0पुलिस बल के सेवारत कर्मियों के दिव्यांग बच्चों के लिए 24.01.20 हावा स्थापना दिवस पर शुरू की गई कल्याणकारी योजना जिसका नाम "President HWWA Financial Assistance for disabled wards of ITBP Personnel" है। इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष रू–5000/–(पांच हजार मात्र) के धनराशि केन्द्रीय हावा द्वारा प्रदान की जाएगी। इस योजना की अर्हता/शर्तें निम्नांकित हैः–

- **यह योजना केवल सेवारत अधिनस्थ अधिकारी एवं अन्य कर्मियों के बच्चों के लिए है।**
- अशक्त बच्चों को यह धनराशि प्रतिवर्ष तब तक दी जाएगी जब तक दिव्यांग बच्चे के माता पिता बल में सेवारत हैं या जब तक ये बच्चे स्वयं आत्मनिर्भर नहीं हो जाते, इसमें से जो भी पहले हो।
- इसके लिए लाभार्थियों को 40 प्रतिशत या उससे अधिक का अशक्तता प्रमाण–पत्र देना आवश्यक होगा।
- अशक्तता प्रमाण–पत्र संबंधित वाहिनी के चिकित्सा अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाना अनिवार्य है। सत्यापित अशक्तता प्रमाण–पत्र भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी नियमों के अनुसार सही हो।
- दिव्यांग बच्चों के फोटो एवं पासबुक की प्रतिलिपि (बैक खाता यदि under guardianship है तो अभिभावक की फोटो एवं बच्चे से संबंध का विवरण) एवं घर का पूर्ण पता, बच्चे एवं अभिभावक के आधार कार्ड की प्रति भी आवेदन के साथ संलग्न होना आवश्यक है।
- संबंधिम सेनानी/कार्यालयाध्यक्ष आवेदक के सभी दस्तावेजों की जांच करवाकर अपनी संस्तुति सहित, स्केन प्रति केन्द्रीय हावा की ई–मेल hwwaladies@gmail.com वाहिनी/फार्मेशन की अधिकारिक मेल से भेजं एवं मुल दस्तावेजों को अपने अभिलेखों में सुरक्षित रखें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर मूल दस्तावेजों को मंगवाया जा सके।
- कृपया उपरोक्त योजना के लिए योग्य अभ्यार्थियों के नाम प्रतिवर्ष 31 दिसंबर तक भेजना सुनिश्चित करें।
- इस योजना से संबंधित जानकारी के लिए दूरभाष संख्या–9560667637 पर भी संपर्क कर सकते है।